



2026:AHC-LKO:7634-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 1111/ 2026

श्री बाबा केदारनाथ सेवा समिति, अधिकृत सदस्य

श्री अमित बिंद्रा के माध्यम से एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद वारिस फारुकी, प्रेम कुमारसिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., ए.एस.जी.आई.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद वारिस फारुकी, राज्य के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में नियमित वाद सं. 1751/2025 पहले से ही लंबित है। इसके अलावा, उक्त वाद के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आदेश 39 नियम 1 और 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन को अगली निर्धारित दिनांक यानी दिनांक 09.02.2026 आदि को कुछ आदेश पारित किए गए हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस बीच यह आरोप है कि विरोधी पक्षगण प्रश्नगत भूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि वाद की विषय-वस्तु है, इसलिए, अस्थायी निषेधाज्ञा पर विचार किए जाने तक कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए।

4. यह वह अनुतोष था जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद या याचिका में मांगी जानी थी। ऐसे मामलों के लिए अलग से कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों को इस न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित कर सकता है, जिन पर विचार किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय में जा सकते हैं या उस मामले के लिए अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पारित किए गए आदेश में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं, यदि अन्यथा यह अनुमेय हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

2 फरवरी , 2026

आर.के.पी.